न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी – श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

फौजदारी मुकदमा संख्या 07/2015

सायल	बनाम	गैर सायल
जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर		बाबूसिंह पुत्र शैतानसिंह जाति राजपूत निवासी सुवाला पुलिस थाना शिव जिला बाड़मेर

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2 ख (iii) व (viii)/3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित– 1. श्री दौलतराम सहायक लोक अभियोजक प्रथम बाड़मेर सायल पक्ष ओर से।
2. श्री हाकमसिंह भाटी अधिवक्ता गैर सायल की ओर से।

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट सत्यमेव जयते बाड़मेर (राज.)

निर्णय दिनांक 27.9.2016

1. सायल की ओर से दिनांक 20.10.2015 को गैर सायल बाबूसिंह पुत्र शैतानसिंह जाति राजपूत निवासी सुवाला पुलिस थाना शिव के विरूद्व राजस्थन गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2 ख (iii) व (viii)/3 के अन्तर्गत परिवाद प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैर सायल आर्ले दर्जे का शराब तस्कर है। अपना स्वार्थ सिद्व करने व वर्चस्व कायम करने के लिये शराब की तस्करी को पेशा बना रखा है तथा आमजन के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने पर आमादा है। इसको न्यायालय द्वारा सजायाब करने के उपरान्त भी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। यदि इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो बड़ी गम्भीर वारदात कर सकता है, जिससे समाज एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। गैर सायल के विरूद्व अल्प समयावधि में 02 प्रकरण दर्ज होकर चालान न्यायालय में पेश किये गये जिसमें न्यायालय द्वारा दोनो ही प्रकरणो में दोषी पाया गया। गैर सायलय के विरूद्व निम्न अपराध दर्ज होकर सजा हुई है–

1. मुकदमा संख्या 39/5.3.2013 अन्तर्गत धारा 16/54 आब..अधिनियम चालान नंबर 27/28.3.2013 निर्णय दिनांक 20.11.2013 सजा

अपर जिला मजिस्ट्रेट
(ए.डी.एम.)बाड़मेर

2. मुकदमा संख्या 38/5.4.2014 अन्तर्गत धारा 19/54 आब..अधिनियम चालान नंबर 19/29.4.2014 निर्णय दिनांक 6.12.2014 सजा

उक्त अपराधिक प्रकरणों के आधार पर गैर सायल को गुण्डा घोषित करते हुए जिले से निष्कासित किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रकरण पंजीबद्व होकर, गैर सायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत नोटिस जारी किया गया।

3. गैर सायल के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 04.01.2016 को नोटिस का जवाब पेश कर जाहिर किया कि गैर सायल के विरूद्व पुलिस द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर इस्तगासा पेश किया गया है। गैर सायल स्वयं या किसी गिरोह का मुखिया बन कर कोई अपराध नहीं कर रहा है तथा गैर सायल कोई खतरनाक व्यक्ति नहीं है, जिससे कोई व्यक्ति भयभीत हो एवं कोई शहादत देने से कतराते हो। गैर सायल के विरूद्व आबकारी अधिनियम के तहत दो प्रकरण जरूर बने है परन्तु इन दोनो प्रकरणों में गैर सायल द्वारा लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म कबूल किया गया है। गैर सायल शराब तस्कर नहीं है एवं न ही बदमाश प्रवृति का व्यक्ति है। इसलिये गैर सायल के विरूद्व की गई कार्यवाही निरस्त करवाई जावें।

4. गैर सायल द्वारा नोटिस को अस्वीकार करने पर हमने दोनो पक्षों को अपनी–अपनी शहादत पेश करने के आदेश दिये। सायल की ओर से परिवाद के समर्थन में श्री धन्नापुरी गोस्वामी थानाधिकारी पुलिस थाना शिव के बयान करवाऐ गए व सम्बन्धित दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया गया। गैर सायल के वकील द्वारा साक्ष्य पेश नहीं करने के फलस्वरूप गैर सायल की साक्ष्य बन्द की गई।

5. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी एवं न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। विद्वान सहायक लोक अभियोजक प्रथम का यह तर्क हैं कि गैर सायल अपराधिक गतिविधियों में लिप्त होना पाया गया है, इसके विरूद्व आबकारी अधिनियम के तहत 02 अपराध दर्ज हुए है, जिसमें न्यायालय द्वारा राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत दोषी करार दिया जाकर जुर्माने से दण्डित किया गया है। सायल पक्ष के साक्ष्य श्री धन्नापुरी गोस्वामी निरीक्षक पुलिस, थानाधिकारी शिव ने अपने अभिकथनो में गैर सायल के विरूद्व राजस्थान आबकारी अधिनियम 1975 के तहत 02 मुकदमों में सजा होकर जुर्माना से दण्डित होना बताया। गैर सायल के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2 के

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

अपर जिला मजिस्ट्रेट
(ए.डी.एम.)बाड़मेर

खण्ड (ख) के उपखण्ड (iii) में वर्णित स्थितियॉ विद्यमान है, ऐसी स्थिति में गैर सायल को जिले से बाहर निष्कासन किये जाने का प्रर्याप्त आधार है।

6. सहायक लोक अभियोजक प्रथम के तर्को का खण्डन करते हुए गैर सायल के विद्वान वकील ने दलील दी कि पुलिस इश्तगासा में गैर सायल के विरूद्व 2 मुकदमें बताये गये है, जो धारा 16/54 व 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के है, दोनों मुकदमें वर्ष 2013–14 के है, जिनको दो से तीन साल को समय हो चुका है तथा गैर सायल द्वारा लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करते हुए दोनो प्रकरण फैसल करवाये गये है। गैर सायल के विरूद्व वर्ष 2014 के बाद कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। गैर सायल ने कभी भी अवैध शराब बेचने का धन्धा नहीं किया। ऐसी स्थिति में गैर सायल के विरूद्व गुण्डा एक्ट के तहत प्रकरण नहीं बनता है। अधिवक्ता गैर सायल ने 2006 (2)Cr.L.R.(Raj.) 1114, S.B.Criminal misc. Application No.110/83 एवं 2002 (1) R.Cr.D.(Raj.) के कानूनी दृष्टांत पेश करते हुए गैर सायल के विरूद्व गुण्डा एक्ट के तहत की जा रही कार्यवाही को निरस्त करने का निवेदन किया।

7. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अपराधिक अभिलेख एवं प्रस्तुत कानूनी दृष्टांत का भी भलीभांति अध्ययन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता हैं कि गैर सायल बाबूसिंह आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है, जो अवैध शराब बेचने में सक्रिय है। अवैध शराब कभी भी जलरीली होकर मानव जीवन को भारी क्षति पहुंचा सकती है एवं जिससे व्यापक जनहानि हो सकती है। गैर सायल के विरूद्व पुलिस थाना शिव में दो प्रकरण धारा 16/54 व 19/54 दर्ज होकर लिप्त होना पाया गया। राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (iii) राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 (1950 का राजस्थान अधिनियम संख्या 11) के अधीन कम से कम दो बार सिद्वदोष ठहराया जाने पर एवं इस धारा में दिये गये स्पष्टीकरण अनुसार अपराध या कार्य करने का दोषी पाया गया हो तो उक्त अधिनियम के तहत उसके विरूद्व कार्यवाही करने का प्रावधान है। सायल द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा अनुसार गैर सायल के विरूद्व राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत दो आपराधिक प्रकरण दर्ज होकर सम्बन्धित न्यायालय में चालान पेश किये गये है। सायल द्वारा गैर सायल के विरूद्व दर्ज प्रकरणों की सूची में पारित निर्णय ईएक्स पी.06 व ईएक्स पी.07 अनुसार गैर सायल के विरूद्व दोंनो मुकदमों में सजा होना बताया है, ये सभी मुकदमें आबकारी अधिनियम की धारा 16/54 व 19/54 के है। अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग बाड़मेर द्वारा निर्णय 20.11.2013 एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाड़मेर द्वारा निर्णय दिनांक 6.12.2014 से गैर

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

अपर जिला मजिस्ट्रेट
(ए.डी.एम.)बाड़मेर

सायल को आरोपित आरोप अन्तर्गत 16/54 व 19/54 आबकारी अधिनियम के अपराध का दोषी ठहराया गया है। उक्त आपराधिक अभिलेख का अध्ययन करने पर यह पाया गया कि गैर सायल का आचरण राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (iii) के प्रावधानो के तहत गुण्डा व्यक्ति जैसा होना प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में गैर सायल बाबूसिंह पुत्र शैतानसिंह को गुण्डा घोषित किया जाता है तथा अधिनियम की धारा 3(3) के तहत एक माह की अवधि के लिए बाड़मेर जिला से निष्कासित कर, उसे जिला पुलिस अधीक्षक जैसलमेर के नियंत्रण में रखे जाने के आदेश दिये जाते है। गैर सायल, जिला पुलिस अधीक्षक जैसलमेर द्वारा निर्धारित पुलिस थाना में प्रतिदिन अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगा। वह इस अवधि में नेक चलन रहेगा और सदाचार एवं शान्ति बनाये रखेगा। गैर सायल अपने पास किसी प्रकार का मादक पदार्थ, हथियार/शस्त्र नहीं रखेगा। गैर सायल बाबूसिंह इस आदेश की पालना हेतु स्वयं का मुचलका रूपये 10000/– एवं इसी कदर मौतबिर जमानत अधिनियम की धारा 7 एवं नियम 18 के तहत पेश कर, तस्दीक करायेगा। गैर सायल को आदेश दिये जाते हैं कि वह तत्काल बाड़मेर जिला छोड़कर जिला पुलिस अधीक्षक जैसलमेर के समक्ष अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करें। जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर, अगर गैर सायल 15 रोज के भीतर इस आदेश की पालना नहीं करता है तो उसे पुलिस अभिरक्षा में जिला पुलिस अधीक्षक जैसलमेर को सुपुर्द कर, पालना सुनिश्चित करावें।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अपर जिला मजिस्ट्रेट,
बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 27.9.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला मजिस्ट्रेट
बाड़मेर